निर्णय वइजलास श्री रामावतार मीना आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छीपाबड़ौद जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :– 164/2016 दावा
दायरा दिनांक :–12.08.2016
निर्णय दिनांक :– 11.5.19

उनवान

1. गुलाबचन्द पुत्र प्रभूलाल जाति चांडाल
2. मोहनलाल पुत्र प्रभूलाल जाति चांडाल निवासी उदपुरिया हाल निवासी भंवरगढ तहसील किशनगंज।
3. शंकरलाल पुत्र मदनलाल जाति चांडाल निवासी उदपुरिया हाल निवासी छीपाबडौद तहसील छीपाबड़ौद।
4. प्रेमचन्द पुत्र मदनलाल जाति चांडाल निवासी उदपुरिया हाल निवासी कोटा।
5. रामगोपाल पुत्र मदनलाल
6. रूकमणी बाई पुत्री मदनलाल
7. भवरीबाई बेवा मदनलाल जाति चांडाल निवासी उदपुरिया हाल निवासी छीपाबड़ौद।
8. तेजकरण पुत्र रतनलाल
9. चन्द्रमोहन पुत्र रतनलाल
10. रामप्रसाद पुत्र रतनलाल
11. रामजानकी पुत्री मदनलाल
12. पाना बाई पुत्री रतनलाल
13. नटी बाई बेवा रतनलाल जाति चांडाल निवासी उदपुरिया हॉल निवासी भंवरगढ तहसील किशनगंज।

बनाम

1. भंवरलाल पुत्र रघुनाथ जाति कुमावत
2. अर्जुन पुत्र रघुनाथ जाति कुमावत निवासी उदपुरिया तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां।

वाद अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट
निर्णय दिनांक :– 11.5.19

अभिभाशक उपस्थित :– 1. श्री बृजमोहन मालव वादी

अभिभाषक वादीगण द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय मे इस आशय का पेश किया गया कि वाके ग्राम उदपुरिया तहसील छीपाबडौद मे स्थित आराजी खसरा नंबर 70 रकबा 3.07 बीघा, खसरा नंबर 73 रकबा 17 बिस्वा किता 2 रकबा 4.04 बीघा, वादीगण एवं मोत्याबाई पत्नि प्रभूलाल जाति चांडाल निवासी छीपाबडौद के खातेदारी एवं कब्जेकाश्त मे दर्ज चली आ रही है। उक्त खातेदार मोत्याबाई का स्वर्गवास हो गया है, और उसके जायज वारिस व कायममुकामान वादी नंबर 1 व 2 है। वादीगण ने अपने खातेदारी एवं कब्जे काश्त की उक्त वर्णित आराजी मे मक्का की फसल बो रखी है। फसल अच्छी उपजाऊ है। प्रतिवादीगण की नियत मे बद्यान्ति आ गई है, और वादीगण की

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला बारां

Scanned by CamScanner

ई हुई फसल पर जबरन बल पूर्वक कब्जा करना चाहता है, जिसका प्रतिवादीगण को कोई कानूनी अधिकार नही है। दिनांक 25.07.2016 को प्रतिवादीगण वादीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की उक्त आराजी पर जबरन बलपूर्वक कब्जा करने की कोशिश की वादीगण ने ऐसा कृत्य करने से मना किया तो प्रतिवादीगण लडाई झगडे पर आमादा हुये। गवाहान ने बीच बचाव कराया तो बामुशिकल माने प्रतिवादीगण ने वादीगण को धमकी दी है, कि उक्त आराजी पर आयन्दा जबरन बलपूर्वक कब्जा करके उक्त फसल मक्का को नष्ट करके उक्त आराजी पर जबरन बलपूर्वक कब्जा करेगे।

प्रतिवादीगण ने अपने इरादे के मुताबिक वादपत्र की मद नम्बर–1 मे वर्णित आराजी पर बोई हुई फसल मक्का को नष्ट कर दिया था, उक्त आराजी पर जबरन बलपूर्वक कब्जा कर लिया तो वादीगण को अपरिमित शांति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति न तो दृव्य मे आंकी जा सकती और न ही की जा सकती है, वादीगण को कई मुकदमेबाजी मे उलझकर समय व धन की अपरिमित क्षति उठानी पडेगी।

वाद कारण दिनांक 25.07.2018 को प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की उक्त आराजी पर जबरन बलपूर्वक कब्जा करने की कोशिश करने पर तथा वादीगण द्वारा मना करने पर आयन्दा जबरन बलपूर्वक कब्जा करने की धमकी देने पर उत्पन्न हुआ। वादी द्वारा वाद पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की और से श्रीमति पंकज शुक्ला एड़वोकेट का वकालत नामा पेश हुआ। प्रतिवादीगण की और से जवाबदावा पेश नही हुआ। जवाबदावा पेश करने हेतु कई अवसर दिये गये, परन्तु प्रतिवादीगण की और से जवाबदावा पेश नही किया गया। प्रतिवादीगण एवं उनके अभिभाषक दिनांक 22.01.2019 को बावजूद सूचना के न्यायालय मे उपस्थित नही होने के कारण उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई। वादी ने अपने पक्ष के समर्थन मे नकल जमाबन्दी ग्राम उदपुरिया सम्वत् 2072–75 खाता संख्या 71 पेश की गई। साक्ष्य वादी मे पी.डब्ल्यू 1 गुलाबचन्द, पी.डब्ल्यू 2 मोहनलाल, पी.डब्ल्यू 3 तेजकरण के बयान कराये गये।

बहस अभिभाषक वादीगण एक तरफा सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी द्वारा वादपत्र मे अंकित तथ्यो को दोहराया गया। वादी का कथन है, कि विवादित आराजी वाके ग्राम उदपुरिया मे वादी एवं मोत्याबाई पत्नी प्रभूलाल जाति चांडाल के खातेदारी मे दर्ज है। मोत्याबाई का स्वर्गवास हो गया है, उसके जायज वारिस एवं कायममुकामान वादी नंबर 1 व 2 है। प्रतिवादीगण वादीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी मे जबरन बलपूर्वक कब्जा करना चाहते है, जबकि प्रतिवादीगण का कोई अधिकार नही है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी की भूमि मे खडी फसल को नष्ट करने की धमकी दी गई, यदि प्रतिवादीगण द्वारा वादी की खडी फसल नष्ट कर दी गई, एवं जबरन बलपूर्वक वादीगण की भूमि पर कब्जा कर लिया, तो वादीगण को अपरिमित क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति न तो दृव्य मे आकी जा सकती है, और न ही की जा सकती है। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे, कि वह वादी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त मे किसी प्रकार की दखल अंदाजी नही करे।

बहस अभिभाषक वादीगण एक तरफा सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी वाके ग्राम उदपुरिया तहसील छीपाबड़ौद सम्वत् 2072–75 खाता संख्या 71 के अनुसार प्रभू वल्द प्यारा कोम चांडाल साकिन छीपाबड़ौद के खातेदारी मे दर्ज है। जमाबन्दी के कॉलम संख्या 11 से 13 मे नामान्तरकरण संख्या 575 निर्णय दिनांक 10.07.2015 विरासत से

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला बारा

Scanned by CamScanner

तक प्रभू के स्थान पर गुलाबचन्द, मोहनलाल पुत्र प्रभूलाल हिस्सा 2/5, शंकरलाल, प्रेमचन्द, रामगोपाल पुत्र मदनलाल, रूकमणी पुत्री मदनलाल, भंवरी पत्नी मदनलाल हिस्सा 1/5, तेजकरण, चन्द्रमोहन, रामप्रसाद पुत्र रतनलाल, रामजानकी, पाना बाई पुत्रीया रतनलाल, नटी बाई पत्नी रतनलाल हिस्सा 1/5, मोत्याबाई पत्नी प्रभूलाल हिस्सा 1/5 कोम चांडाल साकिन छीपाबड़ौद के खाते दर्ज करने का नोट अंकित है। इससे यह साबित होता है, कि उक्त विवादित आराजीयात वादीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त मे चली आ रही है। प्रतिवादीगण द्वारा न्यायालय मे उपस्थित होकर न तो अपने पक्ष के समर्थन मे जवाबदावा पेश किया, और न ही दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये। प्रतिवादीगण को वादीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी मे किसी प्रकार की दखल अंदाजी करने का कोई अधिकार नही है, ऐसी स्थिति मे वादीगण का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादीगण को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है, कि विवादित आराजी वाके ग्राम उदपुरिया तहसील छीपाबड़ौद के खसरा नंबर 70 रकबा 3.07 बीघा, खसरा नंबर 73 रकबा 17 बिस्वा, मे वादीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त मे किसी प्रकार की दखल अंदाजी नही करे। ऐसा कृत्य न तो स्वयं करे, और न ही अपने प्रतिनिधियों से करावे। तदनुरूप डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर सुनाया गया।

(रामावतार मीना)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छीपाबड़ौद

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छीपाबड़ौद जिला बारां (राज0)

डिक्री

वाद संख्या 164/2016	धारा अन्तर्गत 188, RTA	निर्णय दिनाक : 11.4.19
समक्ष : श्री रामावतार मीना आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, छीपाबड़ौद जिला बारां		
उपस्थिति : अभिभाषक वादी:– श्री बृजमोहन मालव	अभिभाषक प्रतिवादी:–	

वाद शीर्षक

उनवान

1. गुलाबचन्द पुत्र प्रभूलाल जाति चांडाल
2. मोहनलाल पुत्र प्रभूलाल जाति चांडाल निवासी उदपुरिया हाल निवासी भंवरगढ तहसील किशनगंज।
3. शंकरलाल पुत्र मदनलाल जाति चांडाल निवासी उदपुरिया हाल निवासी छीपाबडौद तहसील छीपाबडौद।
4. प्रेमचन्द पुत्र मदनलाल जाति चांडाल निवासी उदपुरिया हाल निवासी कोटा।
5. रामगोपाल पुत्र मदनलाल
6. रूकमणी बाई पुत्री मदनलाल
7. भवरीबाई बेवा मदनलाल जाति चांडाल निवासी उदपुरिया हाल निवासी छीपाबड़ौद।
8. तेजकरण पुत्र रतनलाल
9. चन्द्रमोहन पुत्र रतनलाल
10. रामप्रसाद पुत्र रतनलाल
11. रामजानकी पुत्री मदनलाल
12. पाना बाई पुत्री रतनलाल
13. नटी बाई बेवा रतनलाल जाति चांडाल निवासी उदपुरिया हॉल निवासी भंवरगढ तहसील किशनगंज।

बनाम

1. भंवरलाल पुत्र रघुनाथ जाति कुमावत
2. अर्जुन पुत्र रघुनाथ जाति कुमावत निवासी उदपुरिया तहसील छीपाबड़ौद जिला बारा

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद मे यह आदेषित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादीगण को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है, कि विवादित आराजी वाके ग्राम उदपुरिया तहसील छीपाबड़ौद के खसरा नंबर 70 रकबा 3.07 बीघा, खसरा नंबर 73 रकबा 17 बिस्वा, मे वादीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त मे किसी प्रकार की दखल अंदाजी नही करे। ऐसा कृत्य न तो स्वयं करे, और न ही अपने प्रतिनिधियों से करावे।

साथ ही नियमानुसार _____ रू0 का व्ययानुतोष _____ द्वारा _____ को प्रदान किया जाए।

उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनाक 11.4.19 को निर्गत किया गया।

हस्ताक्षर
उपखण्ड अधिकारी,
छीपाबड़ौद जिला बारा

क्र.सं.	व्यय मद	व्ययानुतोष	
		वादी	प्रतिवादी
1.	मुख पत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीस कमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		

Scanned by CamScanner